खबर कोना

घर में गैस सिलेंडर से लगी आग, एक व्यक्ति झुलसा

अंबाला, 14 जुलाई (जनसत्ता)।

अंबाला जिले के केसरी रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार दोपहर को एक घर में गैस सिलेंडर का पाइप फटने से धमाका हो गया। इस हादसे में घर की दीवारें काफी हद तक ढह गई और एक युवक दीपक गंभीर रूप से झुलस गया। युवक को इलाज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक हादसा रसोई में खाना गर्म करने के दौरान हुआ। अचानक गैस सिलेंडर का पाइप फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तीव्र था कि घर की पक्की कंक्रीट की दीवारें गिर गईं। लकड़ी के दरवाजे भी टूटकर दूर जा गिरे। हादसे में घर में मौजूद युवक दीपक कुमार बुरी तरह झुलस गया। दीपक दोपहर में खाना खाने के लिए अपने घर आया था।

महेंद्रगढ़ : डोंगरा अहीर में खुलेगा नर्सिंग कालेज

चंडीगढ़, 14 जुलाई (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव डोंगरा अहीर में नया राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और जल्द ही इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए आगामी विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि डोंगरा अहीर और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों की ओर से काफी समय से यहां एक नर्सिंग कालेज खोलने की मांग की जा रही थी। ग्रामीणों की इस बेहद जरूरी और वाजिब मांग को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने इसे तुरंत मंजूरी दी है।

हरियाणा में 16.15 फीसद मतदाता मिले मृत, स्थानांतरित या अनुपलब्ध

अब 24 जुलाई तक जमा करा सकेंगे गणना प्रपत्र, 31 को प्रकाशित होगी प्रारंभिक मतदाता सूची

चंडीगढ़, 14 जुलाई (जनसत्ता)।

हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के दौरान कुल 33 लाख 36 हजार 31 मतदाता संदिग्ध श्रेणी के मिले हैं। यह ऐसे मतदाता हैं जो या तो मृत हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत (डुप्लीकेट) हैं अथवा निर्धारित पते पर उपलब्ध नहीं मिले हैं। यह कुल मतदाताओं का 16.15 फीसद है।

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा है कि इन प्रविष्टियों को नियमानुसार हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे राज्य की मतदाता सूचियां पहले की तुलना में अधिक शुद्ध और पारदर्शी बन सकेंगी। इस बीच मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा के मतदाताओं को राहत देते हुए गणना प्रपत्र (इन्युमरेशन फार्म) जमा करने और उनके डिजिटलाइजेशन की समय सीमा 14 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई 2026 कर दी है। हरियाणा में 15 जून से मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चालू हुआ था, जो कि मंगलवार को खत्म होने वाला था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार राज्य में कुल दो करोड़ छह लाख 55 हजार 929 मतदाता दर्ज हैं। इनमें से दो करोड़ छह लाख 11 हजार 832 मतदाताओं (99.79 फीसद) तक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। इनमें से एक करोड़ 70 लाख 5 हजार 842 प्रपत्र (82.33 फीसद) का डिजिटाइजेशन भी पूरा कर लिया गया है। शेष मतदाताओं से संपर्क कर प्रपत्र एकत्र करने और उन्हें आनलाइन दर्ज करने का कार्य अब 24 जुलाई तक जारी रहेगा। ए श्रीनिवास ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए हैं, जो वास्तविक रूप से मतदाता सूचियों में बने रहने के पात्र नहीं हैं। इनमें मृत व्यक्तियों के नाम, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके मतदाता, एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नाम तथा लंबे समय से अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 24 जुलाई तक गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण, सत्यापन और डिजिटाइजेशन जारी रहेगा। इसके बाद 31 जुलाई 2026 को प्रारंभिक मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी। इस सूची पर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जबकि सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद तीन अक्तूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित होंगी।

नौ लाख से ज्यादा वोटर सत्यापन के दौरान नहीं मिले

अनुपस्थित, स्थानांतरित, 'डुप्लिकेट' या मृत वर्ग में रखे गए 33.49 लाख मतदाताओं में से 7,44,349 (22.22%) के मृत होने की सूचना मिली है। इसके अलावा, 1,83,823 (5.49%) वोटर 'डुप्लिकेट' पाए गए, क्योंकि वे पहले से ही मतदाता के तौर पर पंजीकृत थे। 13,32,550 (39.78%) मतदाता स्थाई रूप से दूसरी जगह चले गए हैं, जबकि 9,81,778 (29.31%) मतदाता सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए गए। 24 साल के अंतराल के बाद, हरियाणा ने गहन पुनरीक्षण के तहत राज्यव्यापी घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन का काम शुरू किया है।

पंजाब में भूमि अधिग्रहण नीति, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रदर्शन

किसानों ने पांच घंटे बंद रखे टोल प्लाजा

चंडीगढ़, 14 जुलाई (ब्यूरो)।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने पंजाब सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति और भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के खिलाफ मंगलवार को राज्य के कई टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया और वाहनों को बिना टोल दिए वहां से गुजरने दिया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के राष्ट्रीय संयोजक और भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान टोल प्लाजा पर जुटे और केंद्र एवं पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध-प्रदर्शन 11 बजे शुरू हुआ और शाम चार बजे तक जारी रहा।

इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को बिना किसी शुल्क के भुगतान के वहां से आने-जाने दिया। किसानों ने बताया कि कलाझाड़, लाडोवाल, चहर, कुराली और दप्पर समेत राज्य के 40 से अधिक टोल प्लाजा पर विरोध-प्रदर्शन किया गया। मोहाली के दप्पर टोल प्लाजा पर किसान नेता जसविंदर सिंह ने कहा कि वे भूमि पूलिंग नीति, प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते और भूमि बंधक बैंक में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

अमृतसर : वाहनों को बिना शुल्क दिए गुजारते भाकियू से जुड़े किसान।

सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हाल में संशोधित भूमि अधिग्रहण नीति के जरिए किसानों की जमीन 'लूटना' चाहती है। उन्होंने आशंका जताई कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय किसानों के हितों पर बुरा असर पड़ेगा। खरड़ टोल प्लाजा पर मौजूद प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि भूमि पूलिंग नीति के तहत राज्य सरकार उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण करके उसे बड़े कारोबारी घरानों को सौंपना चाहती है। उन्होंने इस नीति को वापस लेने की मांग की।

भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करते हुए किसानों ने मांग की कि कृषि, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता भारतीय किसानों के हितों पर प्रतिकूल असर डालेगा, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। किसानों ने केंद्र और पंजाब सरकार से उनकी मांगों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने मांगें नहीं माने जाने पर अपना आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी।

उमस ने किया बेहाल, 18 तक तापमान में बदलाव नहीं

पंचकूला, 14 जुलाई (जनसत्ता)।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में उमस लोगों को बेहाल कर रही है। मंगलवार को हल्के बादलों के बीच उमस भरे मौसम ने लोगों को पसीने से तरबतर किया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 17 जुलाई तक केवल छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, जबकि 18 जुलाई को वर्षा का दायरा बढ़ेगा और 19 व 20 जुलाई को कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अगले तीन दिन तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके बाद मानसूनी गतिविधियां धीरे-धीरे बढ़ेंगी और 19-20 जुलाई को वर्षा का दायरा और अधिक विस्तृत होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले सात दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं होगा।

कालेजों-विवि में शोध व नवाचार को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार

चंडीगढ़, 14 जुलाई (जनसत्ता)।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 20 करोड़ रुपए के राज्य अनुसंधान कोष को दी मंजूरी। 27 उच्च शिक्षा संस्थानों की 90 अनुसंधान परियोजनाओं को मिलेगी सहायता।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवाचार-आधारित परिवर्तन को गति देने के लिए 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष स्थापित करने का एलान किया हे। इसके तहत प्रदेश के 27 उच्च शिक्षा संस्थानों की 90 अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री उच्चतर शिक्षा विभाग व कुलगुरुओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना वादा निभाते हुए प्रदेश में 20 किलोमीटर की परिधि में छात्राओं के लिए कालेज की स्थापना की गई है, जिससे छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष' विश्वविद्यालयों और कालेजों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें राज्य की जमीनी समस्याओं के समाधान केंद्रों में बदलेगा। ये सभी 90 परियोजनाएं कृषि, भूजल संरक्षण, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा, कृत्रिम मेधा (एआइ), ग्रामीण विकास, औद्योगिक नवाचार और समावेशी शिक्षा जैसे हरियाणा के विशिष्ट विषयों पर केंद्रित हैं।

सहजीवन में रहने को लेकर विवाद

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तीन पर एफआइआर

चंडीगढ़, 14 जुलाई (ब्यूरो)।

पंजाब के होशियारपुर जिले में सहजीवन (लिव-इन) में रहने को लेकर परेशान किए जाने की वजह से एक युवक के आत्महत्या करने के मामले में उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि पेशे से चालक 24 वर्षीय लखवीर दसुआ के भट्टी दा पिंड गांव की एक महिला के साथ पिछले चार-पांच महीनों से सहजीवन में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक महिला के रिश्तेदार और एक अन्य व्यक्ति इस रिश्ते के खिलाफ थे और कथित तौर पर लखवीर को परेशान कर रहे थे। महिला के रिश्तेदारों की पहचान नंगल बिहाला गांव निवासी बिल्ला और उसके चाचा के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि लखवीर की ओर से 12 जुलाई को जहर खाने से दो-तीन दिन पहले भी महिला के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की थी।

नियुक्तियां

AIC-GBU Incubation Council
GAUTAM BUDDHA UNIVERSITY
Gr. Noida-201312, UP, India
Email: aic-gbuic@gbu.ac.in | Website: https://gburif.org
Advt. No. AIC-GBUIC/Recruitment/2026/001
Start Date: 08th July, 2026 | Last Date 29th July, 2026
AIC-GBU Incubation Council, a Section 8 Not-for Profit Company under Gautam Buddha University invites application for the following Contractual posts.

SN	Name of the post	Remuneration	Total Post	Age limit
1.	Chief Executive officer (CEO	Rs. 1,20,000/pm	01	40
2.	Manager	Rs. 50,000/pm	01	30

For more details, visit: www.gbu.ac.in, https://gburif.org Director-AIC-GBUIC

SIR-2026
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
हरियाणा
विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)
अच्छी खबर!
हरियाणा का गणना चरण
(Enumeration Phase)
बढ़ाया गया है!
अपना योगदान दें, सही मतदाता सूची बनाएं।
SIR 2026, हरियाणा का गणना चरण
अब बढ़ाकर कर दिया गया है
अब अंतिम तिथि
24 जुलाई, 2026 तक
यदि आपने अभी तक अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी समय है। आप अपना Enumeration Form भरकर BLO को जमा कराएं या ECINET ऐप पर ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
गिनती में शामिल हों। अपनी आवाज उठाएं। लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं।
यदि आपने अभी तक अपना गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है, तो यह आपके लिए अंतिम अवसर है।
आज ही अपना गणना प्रपत्र जमा करें
अवसर न चूकें! पीछे न छूटें!
आपकी भागीदारी आपका भविष्य तय करती है।
अधिक जानकारी के लिए अपने BLO से संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट देखें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट :
www.ceoharyana.gov.in

Ind-Swift Laboratories Ltd.
Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh - 160 101 | Ph: +0172-2730503, 2730920
Website: www.indswiftgroup.com | CIN L24232CH1995PLC015553

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **Extra-Ordinary General Meeting ("EGM")** of the members of **Ind-Swift Laboratories Limited("theCompany")** will be held on **Wednesday, August 05, 2026,at 11:30 A.M.(IST)** through Video Conferencing(**"VC"**)/Other Audio Visual Means(**"OAVM"**)to transact the businesses as set forth in the Notice convening the said Meeting.

In compliance with the provisions of Sections 108, and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (**"theAct"**) (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (**"theRules"**), read with General Circular No 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, and various subsequent circulars issued in this regard, the latest being 03/2025 dated September 22, 2025, issued by Ministry of Corporate affairs (collectively referred to as (**"MCA Circulars"**)) from time to time, permitted the companies to conduct General Meeting (**"theMeeting"**) through Video Conferencing (**"VC"**) facility or other Audio Visual means (**"OAVM"**), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (**"the Act"**), SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations,2015 (**"SEBI LODR Regulations"**) and MCA Circulars, Extra-Ordinary General Meeting (**"EGM"**) of the Company will be held through VC/OAVM on Wednesday, August 05, 2026, at 11:30 A.M. (IST). The deemed venue for the EGM will be the Registered Office of the Company.

In terms of the aforesaid Circulars, Notice convening the EGM of the Company has been dispatched only through electronic mode i.e., via **email** to the members who have registered their E-mail IDs with the Depository Participant(s)/Company. The Company completed the dispatch of the Notice of the EGM on Tuesday, July 14, 2026.

In terms of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of SEBI LODR Regulations and Secretarial Standard on General Meetings(**"SS-2"**) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is pleased to provide to its Members, the facility to exercise their right to vote by remote e-voting or e-voting during the EGM. The Company has engaged the services of CDSLas the Agency to provide an e voting platform to the Members of the Company. The details relating to e-voting in terms of the Act and the relevant Rules are as under:

1. All the businesses as set out in the Notice of EGM may be transacted through remote e-voting or e-voting during the EGM.
2. The remote electronic voting will commence **from Sunday, August 02, 2026, at 9:00 A.M. and ends on Tuesday, August 04, 2026, at 5:00 P.M.** No remote e voting shall be allowed beyond the said date and time.
3. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as of **29th July, 2026,("cut-off date")**. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of EGM and holds shares as on the cut off date, may cast his/her vote through remote e voting or e-voting during the EGM by obtaining the Login-ID and password by sending a request tohelpdesk.evoting@cdslindia.com.. However, if such a member is already registered with CDSL for e-voting, then the existing User-ID and Password shall be used for casting a vote.
4. Only those members who will be present at the EGM through VC/OAVM facility but have not already cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote through the e-voting system in the EGM.
5. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting during the EGM is **29th July, 2026,("Cut-off date")**.
6. A Member may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
7. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the EGM.
8. The Notice of the EGM is displayed on the website of the Company, i.e.www.indswiftgroup.com,and availableon the website of NSE at www.nseindia.comand BSE at www.bseindia.com.
9. The manner in which the members, who are holding shares in dematerialized mode or physical form or who have not registered their email addresses with their Depository/the Company, can cast their vote through remote e voting or through the e-voting system during the EGM has been provided in the Notice of the EGM.
10. In case of any query/grievance with respect to remote e-voting, Shareholders, may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting User Manual for shareholders available under the Downloads section of www.evotingindia.com e-voting website www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.comand a request to rta@alankit.com at Alankit House 4E/2 Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 in prescribed Form ISR -1 and other forms as per instructions mentioned in the form.

Manner of Registration of e-mail addresses:
In case shares are held in physical mode, please update your e-mail ID withrta@alankit.com. In case shares are held in demat mode, please update your e-mail ID with your relevant Depository Participant.

For **Ind-Swift Laboratories Limited**
Sd/-
PARDEEP VERMA
VP CORPORATE AFFAIRS & COMPANY SECRETARY

Place: Chandigarh
Date: July 14, 2026